(12)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 1503-I/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–4–2014 पारित द्वारा प्रशासकीय सदस्य राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर, प्रकरण क्रमांक निगरानी 1619–एक/2004.

मदनलाल (मगनलाल)पुत्र नरसिंहलाल,
निवासी ग्राम गोदडा तहसील नलखेड़ा,
तहसील नलखेड़ा जिला शाजापुर म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1–रामसिंह तथाकथित दत्तक पुत्र खीमाजी
(अनावेदक क्र.1 प्रकरण से विलोपित)
2–जानकीलाल पुत्र मगनलाल जी
3–कंवरलाल पुत्र मगनलाल जी
4–विष्णुप्रसाद पुत्र मगनलाल जी
निवासीगण ग्राम गोदडा तहसील नलखेड़ा,
तहसील नलखेड़ा जिला शाजापुर म0प्र0
5–मध्यप्रदेश शासन

..... अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदक
श्री ए0के0अग्रवाल, अभिभाषक, अनावेदक क्र.2 से 4 तक
श्री बी0एन0त्यागी, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 5

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/5/17 को पारित)

यह रिव्यु आवेदक द्वारा राजस्व मण्डल के प्रकरण क्रमांक 1619–एक/2004 में पारित आदेश दिनांक 4–4–2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 51 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है ।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रामसिंह कथित दत्तक पुत्र खीमाजी एवं मृतक पारीबाई विधवा खीमाजी भील ने दिनांक 9–2–1982 को छानबीन समिति नलखेड़ा के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि आवेदक ने पारीबाई को धोखा देकर ग्राम गोठड़ा की भूमि सर्वे नम्बर 2/3 रकबा 5.435 हेक्टेयर सर्वे नम्बर 0.826, सर्वे नम्बर 742/2 रकबा 0.230 हेक्टेयर, सर्वे नम्बर 580 रकबा 0.585 हेक्टेयर, सर्वे नम्बर 590 रकबा 2.184 हेक्टेयर सर्वे नम्बर 118 रकबा 1.829 हेक्टेयर कुल रकबा 11.089 विकय पंजीयन करा लिया तथा नामान्तरण भी हो चुका है अतः वादग्रस्त भूमि आवेदक से मुक्त करवाकर रामसिंह कथित दत्तक पुत्र खीमाजी व पारीबाई को वापस दिलवाई जाने के लिये आवेदन दिया । अनुविभागीय अधिकारी सुसनेर ने प्रकरण कमांक 90/अ–23/1982–83 पंजीबद्ध कर पटवारी एवं हस्तान्तरण करने वाले पक्षकारों को सूचना पत्र जारी करने के आदेश दिये । आवेदक एवं पटवारी उपस्थित हुये तथा आवेदक ने जबाव एवं व्यवहार न्यायालय के आदेश की प्रति प्रस्तुत की, तत्पश्चात् प्रकरण साक्ष्य के लिये नियत किया गया । दिनांक 24–12–1983 को अनुविभागीय अधिकारी ने यह आदेशिका अंकित की कि चूँकि भूमि के बैध हस्तान्तरण का प्रमाण का भार आवेदक का है इसलिये प्रकरण आवेदक की साक्ष्य हेतु नियत किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त उज्जैन संभाग के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जिसे प्रकरण कमांक 26/1985–86/निगरानी में पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 31–8–1987 को यह आदेश दिया कि अनुविभागीय अधिकारी इस बात की जॉच भी ध्यान देकर करें कि क्या ग्राम गोठडा तहसील सुसनेर जिला शाजापुर में विकय दिनांक को भूमि का मूल्य प्रति एकड़ रुपये 740/– या उसके आसपास ही था या उससे अधिक । मूल विकय पत्र प्रस्तुत करवाकर इस बात की भी जॉच करें कि विकय पत्र का पंजीयन दिनांक 5–1–1980 को किया गया था या 8–9–1980 को । पारीबाई स्वयं जिलाध्यक्ष के समक्ष उपस्थित हुई थी या नहीं तथा कितनी बार और किस उद्देश्य से तथा यदि विकय पत्र का पंजीयन दिनांक 5–9–1980 को हुआ है तो विकेता पारीबाई की अंतिम उपस्थिति जिलाध्यक्ष के न्यायालय में किसी तिथि की थी और यदि पंजीयन दिनांक 5–1–1980 का है तो क्या दिनांक 30–8–1980 को दी गई । कथित अनुमति के आधार पर ऐसे विकय और उसके पंजीयन

को विधिवत और वैध माना जा सकेगा या नहीं । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त आदेश के पालन में कार्यवाही प्रारंभ की गई इसी बीच दिनांक 19–4–1988 की आदेशिका अनुसार पारीबाई मृत हुई तथा प्रकरण में साक्ष्य हेतु कार्यवाही नियत की गई परन्तु दिनांक 12–10–1988 को आवेदक की ओर से आवेदन पत्र प्रस्तुत हुआ जिस पर अनुविभागीय अधिकारी ने अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 31–8–1987 के पालन में यह आदेशित किया कि अनुमति के संबंध में पारीबाई की उपस्थिति जिलाध्यक्ष के समक्ष थी या नहीं यह एक तथ्यात्मक बिन्दु है जिसकी जॉच उच्चाधिकारी के आदेशानुसार की जाना होगी । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने निगरानी कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे प्रकरण कमांक 26/1989–90/निगरानी में पंजीबद्ध कर दिनांक 29–4–1992 के आदेश के द्वारा निगरानी आवेदन स्वीकार कर यह निर्देश दिये कि आदेश दिनांक 31–8–1987 पर उपरोक्तानुसार जॉच कार्यवाही कर प्रकरण का निराकरण तीन माह में करने का आदेश दिया । इसके पश्चात् पुनः कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रारंभ हुई तथा पंजीयक से औसत मूल्य संबंधी जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् दिनांक 13–10–1993 को उभयपक्ष की बहस सुनने के बाद दिनांक 7–12–1993 को यह ठहराया कि संहिता की धारा 170–ख के अधीन किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रकरण में की जाना संभव नहीं है । इस आदेश के विरूद्ध रामसिंह ने अपील अपर कलेक्टर जिला शाजापुर के समक्ष प्रस्तुत की जो पारित आदेश दिनांक 26–4–2000 से स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश निरस्त किया तथा यह ठहराया कि गैर आदिवासी मगनलाल द्वारा दिनांक 5–9–1980 को अपने पक्ष में आदिवासी पारीवाई से कराया गया ग्राम गोठड़ स्थित भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्प्रभावी घोषित किया तथा वादग्रस्त भूमि आदिवासी पारीबाई के उत्तराधिकारी रामसिंह को सौंपने हेतु तहसीलदार नलखेड़ा को आदेशित किया । अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–4–2000 से व्यथित होकर आवेदक द्वारा अपर आयुक्त न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई जो अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–11–2004 से अस्वीकार हुई । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–11–2004 से परिवेदित होकर इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 4–4–2014 को आदेश पारित कर

निगरानी निरस्त की गई । इस न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह रिव्यु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है ।

3– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अभिलिखित भूमिस्वामी पारोबाई के कोई संतान नहीं होने के कारण उसके द्वारा विधिवत् अपर कलेक्टर से प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय की अनुमति ली जाकर प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय आवेदक को किया गया है और आवेदक का नामान्तरण भी हो गया है । अपर कलेक्टर द्वारा विक्रय की अनुमति देने के पूर्व पारोबाई के कथन अंकित किये हैं जिसमें पारोबाई द्वारा बताया गया है कि उनके कोई पुत्र व पुत्री नहीं है ।

(2) रामसिंह द्वारा व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर राहत चाही गई थी कि उसे पारोबाई का दत्तक पुत्र घोषित किया जाये । व्यवहार न्यायालय द्वारा दिनांक 28–1–05 को आदेश पारित कर आवेदक का वाद स्वीकार करते हुये रामसिंह का वाद पूर्णतः अस्वीकार किया गया है और व्यवहार न्यायाधीश के आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 2–7–08 को पारित आदेश से अपील निरस्त की गई है । इस प्रकार व्यवहार न्यायालय द्वारा आवेदक को दत्तकर पुत्र मान्य नहीं किया गया है और व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालयों पर बन्धनकारी है ।

(3) आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि क्रय करने में किसी प्रकार का कोई षडयंत्र नहीं किया गया है, इसलिये संहिता की धारा 170–ख प्रकरण में लागू नहीं होती है ।

4– अनावेदक क्रमांक 2 लगायत 4 की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा तर्को बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश संहिता के विधिक प्रावधानों के अनुसार होने से स्थिर रखे जाकर यह रिव्यु खारिज किये जाने का अनुरोध किया ।

5– अनावेदक क्रमांक 5 की ओर से शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश उचित बताते हुये यह रिव्यु निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

6– प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–04–2014 निरस्त किया जाता है । मूल निगरानी प्रकरण कमांक 1619–एक/2004 पुनः नम्बर पर लिया जाता है । अतः मूल निगरानी प्रकरण में गुणदोष पर सुनवाई हेतु पेशी नियत की जावे ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.